संख्या-37/2021/987/26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.-।।।

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च 2021

विषय:- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत डाटा फारवर्ड/डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3940/स0क0/शिक्षा-अ/7/28/2020-21, दिनांक-16.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत डाटा फारवर्ड/डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी, मथुरा को उपनिदेशक, आगरा मण्डल आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदित विवरण को मास्टर डाटा में अंकित कर लॉक करने हेतु तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा को दो दिनों के भीतर छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पात्र संस्थानों के डाटा को अग्रसारित करने की कार्यवाही करने तथा अन्य जनपदों हेतु पूर्व में जारी समय-सारिणी दिनांक 01.03.2021 के क्रम में दिनांक 22.03.2021 तक कल्याण विभाग के अधिकारियों की लॉगिन पर उपलब्ध सही एवं संदेहास्पद डाटा में जांचोपरान्त पात्र छात्रों के डाटा को तथा वैक एण्ड में डाटा का नियमावली के अनुसार परीक्षण करने हेतु जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त कल्याण सेक्टर के अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव ।

पृ0सं0-37/2021/987 (1)/26-3-2021 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- श्री पी0के0 त्रिपाठी, योजनाधिकारी/संयुक्त निदेशक, निदेशालय, समाज कल्याण, लखनऊ को इस आशय से कि जनपद-मथुरा के प्रकरण में नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित करें कि नियमावली के अनुसार पात्र छात्र-छात्राओं/संस्थाओं को ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाये।
10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in